

# छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग



**वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन**

**वित्तीय वर्ष 2012-13**

**छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग**

मधु पिल्लै चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दूरभाष : (0771) 2446018, फैक्स : (0771) 4070131

# छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम - 2005 के अंतर्गत स्थापित]



## वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2012-2013

---

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्लो चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दूरभाष: (0771)2446018, फैक्स : (0771) 4070131

## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

(छत्तीसगढ़ शासन)

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दूरभाष : (0771) 2446018, फैक्स : (0771) 4070131

क्रमांक – 426 / ए.ए.आर.सी. / 166 / ए / 2005 / 4649 रायपुर दिनांक 27/01/2015

प्रति,

सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
मंत्रालय, महानदी भवन,  
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012–2013 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

--0--

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 की कंडिका 22 में यह प्रावधान है, कि “आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष के कियाकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा। नियम 2005 की कंडिका 23 (ग) में यह भी प्रावधान है कि आयोग के वार्षिक लेखा को चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा प्रमाणित करा कर उनका सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। कंडिका 22 एवं 23 की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की वार्षिक लेखा सम्परीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग को आयोग द्वारा अग्रेषित किया जाना है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना है”।

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे आयोग ने बैठक दिनांक 14/01/2015 को विचार कर अनुमोदन किया है।

आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Satyawal

(डॉ ओम प्रकाश वर्मा)  
अध्यक्ष

# छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

## वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2012–2013

आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 22 के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष भर के क्रिया-कलापों का पूर्ण लेखा-जोखा दिया गया है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत हैं।

### 1. विनियामक आयोग – पदाधिकारी एवं अधिकारी

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 36 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिए राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग रूपायित किया जायेगा जो राज्य शासन, एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरण के बीच अध्यापन, परीक्षा, शोध एवं अन्य कार्यक्रम में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तत्संगत शर्त सुनिश्चित करने के लिए होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाये रखेगा। विनियमाक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा तदनुसार आयोग निरन्तर कार्यरत् है। आयोग में निम्नानुसार पदाधिकारी एवं अधिकारी है :-

- |                            |   |                 |
|----------------------------|---|-----------------|
| (1) प्रो० एस०एन० अग्रवाल   | - | अध्यक्ष         |
| (2) डॉ० मुक्ति मिश्रा      | - | सदस्य (अकादमिक) |
| (3) डॉ० ममता त्रिपाठी      | - | अंशकालिक सदस्य  |
| (4) श्री मोहन राव पवार     | - | अंशकालिक सदस्य  |
| (5) प्रो० बी०आर० चन्द्राकर | - | सचिव            |

2. आयोग कार्यालय में उक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्नानुसार है :-

- (1) प्रो० एस०एन० अग्रवाल, सदस्य, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने अध्यक्ष पद का प्रभार 16/01/2011 को ग्रहण किया तथा इनका कार्यकाल दिनांक 30/06/2013 को पूर्ण हुआ।
- (2) डॉ मुक्ति मिश्रा सदस्य (अकादमिक) ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में दिनांक 21/06/2012 को पदभार ग्रहण किया।
- (3) आयोग कार्यालय में दिनांक 20 मार्च, 2011 से सदस्य (प्रशासनिक) का पद रिक्त है।

3. विनियामक आयोग की बैठकें :-

वर्ष 2012–2013 में विनियामक आयोग की 05 बैठकें निम्नांकित तिथियों में आयोजित की गई :-

1. 05/05/2012
2. 09/08/2012
3. 19/12/2012
4. 22/02/2013
5. 30/03/2013

4. कार्यवाही विवरण :-

4.1 प्रस्तावित एमिटि यूनिवर्सिटी के संबंध में -

प्रस्तावित एमिटि यूनिवर्सिटी, ग्राम-माठ, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर का प्रकरण बैठक में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

बैठक में प्रस्तावित एमिटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत किये गये पालन प्रतिवेदन, अधीक्षक, भू-अभिलेख, रायपुर का भूमि संबंधी जॉच प्रतिवेदन, अनुपालन प्रतिवेदन निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा एकत्रित जानकारी के साथ-साथ "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005" में दिये गये स्थापना एवं निगमन संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, समग्र रूप से विचार किया गया। विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा के उपरान्त इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य रूप से जो तथ्य सामने आये हैं तदनुसार सर्व-सम्मति से जो निर्णय लिया है वह निम्नानुसार है :—

प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 21.761 हेक्टेयर (52.97एकड़) स्वामित्व की भूमि में ग्राम-माठ, तहसील-तिल्डा, जिला-रायपुर (छ.ग.) में है। इस भूमि का व्यपर्वर्तन शैक्षणिक प्रायोजनार्थ हो चुका है।

विन्यास निधि की राशि के रूप में ₹0 तीन करोड़ आयोग के पास जमा है।

मुख्य परिसर में प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन का निर्माण कार्य किया गया है। जिसमें भू-तल तथा प्रथम तल में 25,000 वर्ग फुट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, साथ ही द्वितीय तल एवं तृतीय तल में 25,000 वर्ग फुट का भी निर्माण कार्य पूरा है। भू-तल में स्वागत कक्ष के साथ 04 अध्यापन कक्ष कांफेस हाल, कम्प्यूटर लैब, कुलाधिपति, कुलपति, एवं कुलसचिव के कक्ष स्थित हैं। प्रथम तल में 04 अध्यापन कक्ष, 02 लैब एवं ग्रंथालय स्थित हैं। साथ ही भू-तल एवं प्रथम तल पूर्णतः विद्युत व्यवस्था से सुसज्जित हैं तथा छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक टायलेट बने हुए हैं। प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय रायपुर के नई राजधानी परिक्षेत्र से लगभग 40 कि.मी. रायपुर खरोरा पहुंचमार्ग से जुड़ा है।

आवश्यक परिवचन (Underaking) भी शपथ पत्र में दी जा चुकी है।

इस प्रकार प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 में दी गई सभी शर्तों को पूरा करता है। अतः आयोग सर्व-सम्मति से प्रस्तावित एमिटी यूनिवर्सिटी की स्थापना एवं निगमन की अनुशंसा करता है।

#### 4.2 प्रस्तावित ओ.पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी के संबंध में -

प्रस्तावित ओ.पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी, ग्राम-पुजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ का प्रकरण बैठक में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

बैठक में प्रस्तावित ओ.पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी, द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुपालन प्रतिवेदन निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा एकत्रित जानकारी के साथ-साथ "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005" में दिये गये स्थापना एवं निगमन संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, समग्र रूप से विचार किया गया। विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा के उपरान्त इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य रूप से जो तथ्य सामने आये हैं तदनुसार सर्व-सम्मति से जो निर्णय लिया है वह निम्नानुसार है :-

- (1) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 10.20 हेक्टर (25.2 एकड़) 30 वर्षीय लीज/सबलीज की भूमि में ग्राम-पुजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ0ग0) में है। भूमि अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लीज/सबलीज की व्याख्या (AIR 1960SC 1373) में की है जिसे समतुल्य समझा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम जो छत्तीसगढ़ शासन की एजेन्सी है, ने भी 25.2 एकड़ भूमि में शैक्षणिक संस्थान को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है।
- (2) विन्यास निधि की राशि के रूप में ₹0 एक करोड़ आयोग के पास जमा है।
- (3) मुख्य परिसर में प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन का निर्माण कार्य किया गया है। जिसमें भू-तल तथा प्रथम तल में 25,000 वर्ग फुट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही द्वितीय तल एवं तृतीय तल में 25,000 वर्ग फुट का भी निर्माण कार्य पूरा है। साथ ही परिसर में अकादमिक कार्य हेतु 50 कमरे, क्लासरूम के लिए उपलब्ध है। सभी कमरे फर्नीचर युक्त एवं पूर्णतः विद्युत व्यवस्था से सुसज्जित हैं तथा छात्रों के लिए प्रत्येक विषय के अलग-अलग प्रयोगशालाएँ आवश्यक उपकरणों एवं अन्य संसाधनों से सुसज्जित हैं।

(4) इस प्रकार प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 में दी गई सभी शर्तों को पूरा करता है। अतः आयोग सर्व-सम्मति से प्रस्तावित ओपी. जिन्दल यूनिवर्सिटी की स्थापना एवं निगमन की अनुशंसा करता है।

##### 5. प्रायोजक निकायों को आशय पत्र जारी करने के संबंध में –

5.1 प्रायोजक निकाय – नालेज इम्पावरमेंट सोसायटी, एम-13, ग्रीनलैण्ड, विशाल नगर, रायपुर (छ0ग0), (प्रस्तावित न्यू कैपिटल यूनिवर्सिटी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 01/05/2012 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है अतः प्रायोजक निकाय को न्यू कैपिटल यूनिवर्सिटी, धमतरी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय नालेज इम्पावरमेंट सोसायटी, एम-13, ग्रीनलैण्ड, विशाल नगर, रायपुर (छ0ग0), प्रस्तावित न्यू कैपिटल यूनिवर्सिटी, धमतरी की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

5.2 प्रायोजक निकाय – श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, रावतपुरा मंदिर तहसील-लहर, जिला-भिन्ड (म.प्र.) (प्रस्तावित श्री रावत पुरा सरकार यूनिवर्सिटी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 17/07/2012 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है अतः प्रायोजक निकाय को श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, रायपुर की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, रावतपुरा मंदिर तहसील-लहर, जिला-भिन्ड (म.प्र.) प्रस्तावित श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

प्रायोजक निकाय – श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, युगतीर्थ शांतिकुंज, हरिद्वार प्रस्तावित देव संस्कृति विश्वविद्यालय, राजनादगांव) के परियोजना प्रतिवेदन का प्रायोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 05/12/2012 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है अतः प्रायोजक निकाय को प्रस्तावित देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, युगतीर्थ शांतिकुंज, हरिद्वार प्रस्तावित देव संस्कृति विश्वविद्यालय, राजनादगांव की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

5.4 प्रायोजक निकाय – मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसायटी फरिस्ता काम्प्लेक्स जी.ई. रोड, रायपुर (छ0ग0) (प्रस्तावित मोदी इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, दुर्ग) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 05 / 12 / 2012 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार हैं :—

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है अतः प्रायोजक निकाय को प्रस्तावित मोदी इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसायटी फरिस्ता काम्प्लेक्स जी.ई. रोड, रायपुर (छ0ग0) प्रस्तावित मोदी इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, दुर्ग की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

5.5 प्रायोजक निकाय – एस.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड मेडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, शारदा हाउस, प्रथम मंजिला, 345 – किंग्सवें नागपुर 440001 (प्रस्तावित जी0एच0राय सोनी इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 06 / 12 / 2012 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकने समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :—

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है अतः प्रायोजक निकाय को प्रस्तावित जी0एच0राय सोनी इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसायटी फरिस्ता काम्प्लेक्स जी.ई. रोड, रायपुर (छोगो) प्रस्तावित मोदी इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, दुर्ग की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।"

5.6 प्रायोजक निकाय – इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट, बिलासपुर (छोगो) (प्रस्तावित कामर्शियल यूनिवर्सिटी, रायपुर) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 13/02/2013 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :—

"परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है अतः प्रायोजक निकाय को प्रस्तावित कामर्शियल यूनिवर्सिटी, रायपुर, की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है"

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट, बिलासपुर (छोगो) प्रस्तावित कामर्शियल यूनिवर्सिटी, रायपुर की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।"

5.7 प्रायोजक निकाय लार्ड बुद्धा एजुकेशन सोसायटी, ए-55, सेक्टर-61, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (प्रस्तावित लार्ड बुद्धा यूनिवर्सिटी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 01/05/2012 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय लार्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसायटी ए-55, सेक्टर-61, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन को अमान्य किया जाता है।

## 6. दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन केन्द्रों/परामर्श केन्द्र -

6.1 डॉ० सी०व्ही० रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर द्वारा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 10 नये परामर्श केन्द्र/अध्ययन केन्द्र संचालित करने की अनुमति के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन/परीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि विश्वविद्यालय को स्थापित हुए पांच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है तथा विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर जो करगी रोड कोटा, बिलासपुर में है का विकास भी हो चुका है। विद्यार्थियों के लिये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 दिये गये प्रावधानों के अनुसार "अध्ययन केन्द्र" दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को परामर्श, मंत्रणा या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संधारित या मान्यता प्राप्त केन्द्र जो कोई दो या दो से अधिक संचार माध्यमों जैसे रडियो प्रसारण, दूरदर्शन, पत्राचार पाठ्यक्रम सेमीनार, सम्पर्क कार्यक्रम और इसी प्रकार की कोई अन्य पद्धति से शिक्षा प्रदान करता है।

उपरोक्त प्रावधानानुसार विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 10 नये अध्ययन केन्द्रों को संचालित करने की अस्थायी (Provisional) अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि समरत छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिलों के साथ 10 नये केन्द्रों के संचालकों के नाम-पते तथा संचालित किये जाने वाले केन्द्रों के पते, दूरभाष नं. के साथ विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी समय-समय पर आयोग कार्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा यू.जी.सी. विनियम-2003, डी.ई.सी. एवं अन्य नियामक इकाईयों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

मैट्स विश्वविद्यालय, ग्राम—गुल्लू तहसील—आरंग, जिला—रायपुर द्वारा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिलों में परामर्श केन्द्र/अध्ययन केन्द्र संचालित करने की अनुमति के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन/परीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि विश्वविद्यालय को स्थापित हुए पांच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है तथा विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर जो ग्राम—गुल्लू तहसील—आरंग में है का विकास भी हो चुका है। विद्यार्थियों के लिये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम—2005 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार “अध्ययन केन्द्र” दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को परामर्श, मंत्राणा या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संधारित या मान्यता प्राप्त केन्द्र जो कोई दो या दो से अधिक संचार माध्यमों जैसे – रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, पत्राचार पाठ्यक्रम सेमीनार, सम्पर्क कार्यक्रम और इसी प्रकार की कोई अन्य पद्धति से शिक्षा प्रदान करता है।

उपरोक्त प्रावधानानुसार विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक अध्ययन केन्द्र यानी, 27 अध्ययन केन्द्रों को संचालित करने की अस्थायी (Provisional) अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि समस्त 27 केन्द्रों के संचालक का नाम—पता तथा संचालित किये जाने वाले केन्द्र का पूरा पता, दूरभाष नं. के साथ विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी समय—समय पर आयोग कार्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा यू.जी.सी. विनियम—2003, डी.ई.सी. एवं अन्य नियामक इकाईयों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

### अध्यादेशों का अनुमोदन –

आई0टी0एम0 विश्वविद्यालय, ग्राम—उपरवारा, तहसील—अभनपुर, जिला—रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम एवं प्रथम अध्यादेश को राजपत्र में प्रकाशन हेतु राज्य शासन को आयोग द्वारा भेजे गये पत्र की पुष्टि सर्व—सम्मति से सदस्यों ने की।

8. आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में –

विचाराधीन अवधि में आयोग कार्यालय में कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गई है।

9. विन्यास निधि पर देय ब्याज राशि के संबंध में –

9.1 डॉ० सी०व्ही० रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर द्वारा जमा विन्यास निधि में ब्याज की राशि की मांग की गई है। विश्वविद्यालय के आवेदन पर बैठक में विचार किया गया तथा कुल ब्याज राशि 4,00,000/- में आयकर रु. 40,000/- की कटौती कर शेष ब्याज की राशि रु. 3,60,000/- विमुक्त करने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

9.2 मैट्रस विश्वविद्यालय, ग्राम—गुल्लू तहसील—आरंग, जिला—रायपुर द्वारा जमा विन्यास निधि में ब्याज की राशि की मांग की गई है। विश्वविद्यालय के आवेदन पर बैठक में विचार किया गया तथा कुल ब्याज राशि रु० 12,00,000/- में आयकर रु. 1,20,000/- की कटौती कर शेष ब्याज की राशि रु. 10,80,000/- विमुक्त करने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

9.3 प्रायोजक निकाय मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसायटी, रायपुर द्वारा जमा विन्यास निधि एवं अतिरिक्त निधि में ब्याज की राशि की मांग की गई है। प्रायोजक निकाय के आवेदन पर बैठक में विचार किया गया तथा कुल ब्याज राशि 8,00,000/- में आयकर रु. 80,000/- की कटौती कर शेष ब्याज की राशि रु. 7,20,000/- विमुक्त करने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

9.4 कलिंगा विश्वविद्यालय ग्राम—कोटनी, पलौद, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर द्वारा जमा विन्यास निधि में दिनांक 01/10/2011 से 31/03/2012 तक कुल छः माह की ब्याज की राशि की मांग की गई है। विश्वविद्यालय के आवेदन पर बैठक में विचार किया गया तथा कुल ब्याज राशि रु. 6,00,000/- में आयकर रु. 60,000/- की कटौती कर शेष ब्याज की राशि रु. 5,40,000/- विमुक्त करने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

10. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु समय—समय पर 04 प्रायोजक निकायों को आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा आशय पत्र जारी किये गये है इन प्रायोजक निकायों के नाम निम्नानुसार है :—

1. नालेज इम्पावरमेंट सोसायटी, (प्रस्तावित न्यू कैपिटल यूनिवर्सिटी) रायपुर (छ.ग.)।
2. श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट (प्रस्तावित श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी,) रायपुर (छ.ग.)
3. श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट युगतीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार (प्रस्तावित देव संस्कृति विश्वविद्यालय) राजनांदगाँव, (छ.ग.)।
4. इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट (प्रस्तावित कामर्शियल यूनिवर्सिटी) रायपुर (छ.ग.)।

11. निजी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में –

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित 05 निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण समय—समय पर आयोग कार्यालय द्वारा किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष, राजभवन को प्रेषित किया गया है साथ ही निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को आयोग कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है।

12. न्यायालयीन प्रकरण :-

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालय के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर की गई है, जिनमें विनियामक आयोग को एक पक्षकार बनाया गया है। विनियामक आयोग द्वारा प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क कर आयोग का पक्ष रखते हुए निम्नानुसार समर्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की गई।

### न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

रिट पिटिशन / कम्प्लेन्ट नं.	माननीय उच्च न्यायालय / उपभोक्ता फोरम का नाम	रिट नाम रिमार्क
रिट पिटिशन (सी) नं. 5543 / 2010	माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर	अमित चांदना एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं 3 अन्य
रिट अपील नं. 48 / 2010	माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर	श्री गुरप्रीत सिंग विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं 5 अन्य
रिट पिटिशन नं. 9039 / 12	माननीय उच्च न्यायालय, बांधे बेन्च, औरगांवाद	अनिल वल्ड भीमराज पुराने विरुद्ध दि यूनियन आफ इण्डिया थू दि सेकेटरी मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली एवं 5 अन्य
रिट पिटिशन (सी) नं. 8979 / 2012 (एस)	माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश बेन्च, ग्वालियर	बनवारी लाल त्यागी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य
उपभोक्ता प्रकरण कं. 110 / 2005	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिरोधण, आयोग, नई दिल्ली	अरुण शर्मा एवं अन्य विरुद्ध अध्यक्ष, रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, रायपुर
उपभोक्ता प्रकरण कं. 109 / 2005	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिरोधण, आयोग, नई दिल्ली	स्मृति एवं अन्य विरुद्ध अध्यक्ष, रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, रायपुर
कम्प्लेन नं. 396 / 2006	डिस्ट्रीक्ट कन्ज्यूमर डिस्प्यूट्स रिझेसल फोरम, संगरुर पंजाब	गुरुराम दास कालेज आफ टेक्नीकल एजुकेशन, संगरुर पंजाब विरुद्ध अध्यक्ष, रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, रायपुर

### 13 राज्य की संचित निधि में जमा शुल्क राशि का विवरण –

13.1 डॉ० सी०व्ही० रमन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2012–2013 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि कुल रु० 10,17,892/- आयोग को प्राप्त हुए जिसे छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।

- 13.2 मैट्स विश्वविद्यालय, द्वारा वर्ष 2012–2013 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि कुल रु0 6,83,761/- आयोग को प्राप्त हुए जिसे छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- 13.3 आई०सी०एफ०ए०आई० विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2012–2013 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि कुल रु0 43,881/- आयोग को प्राप्त हुए जिसे छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- 13.4 आई०टी०एम० विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2012–2013 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि कुल रु0 1,86,523/- आयोग को प्राप्त हुए जिसे छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
14. पूर्ववर्ती/प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही –

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई। शिकायतों के संबंध में संबंधित प्रायोजक निकायों को पत्र द्वारा सूचित करने एवं सलाह देने का कार्य किया गया।


साथ ही उक्त अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समय पर आयोग कार्यालय द्वारा आवेदकों को जानकारी उपलब्ध करायी गई।

15. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय—

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ष 2006 से विचाराधीन अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य में पांच निजी विश्वविद्यालय यथा (1) डॉ० सी०ही० रमन विश्वविद्यालय करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (2) मैट्स विश्वविद्यालय, ग्राम-गुल्लू तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (3) कलिंगा विश्वविद्यालय, गाम-कोटनी-पलौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (4) आई०सी०एफ०ए०आई० विश्वविद्यालय, ग्राम-चोरहा, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग, (5) आई०टी०एम० विश्वविद्यालय, ग्राम-उपरवारा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर स्थापित तथा संचालित है।

16. लेखाओं पर प्रतिवेदन के संबंध में -

विचाराधीन अवधि के लेखाओं की सम्परीक्षा मेसर्स बत्रा दीपक एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंट्स, रायपुर द्वारा की गई है, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्नक -1 पर है।

  
(डॉ ओम प्रकाश शर्मा)

अध्यक्ष

  
(डॉ मुक्ति मिश्रा)

सदस्य

  
(प्रोफ. बी.ओ.आरो चन्द्राकर)

सचिव

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

शांति नगर, रायपुर – 492 007

**STATUTORY AUDIT REPORT  
OF  
JHARKHAND NIJI VISHWAVIDYALAYA  
VINAYAMAK AYOG  
FOR THE YEAR ENDED  
ON 31<sup>ST</sup> MARCH 2013**

**BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS**

**Batra Deepak & Associates**  
*Chartered Accountants*


Office No.28, 2nd Floor, Ashoka Plaza Complex  
(Near Ashoka Ratan, Khamardih), Vidhan Sabha Road, RAIPUR (Chhattisgarh) 492001  
Phone: 0771-2281180, 81, 82; Fax: 0771-2281183  
E-mail: deepakbda@gmail.com

**STATUTORY AUDITORS' REPORT**

To,  
**Chhattisgarh Niji Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog),  
29/776, Plot No. 5, Block No. 3,  
Opp. Ram Mandir, Shanti Nagar  
Madhu Pillai Chowk, Raipur (Chhattisgarh)**

We have audited the attached Balance Sheet of **CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG (AYOG)** as at 31st March 2013 and the attached Income & Expenditure Account of the Ayog for the year ended on that date. Our report is as under:

- (a) These financial statements are the responsibility of the Entity's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit.
- (b) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- (c) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.



- (d) In our opinion, proper books of account have been prepared, so far as it appears from our examination of such books.
- (e) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.
- (f) Our audit observations are attached herewith as Annexure "A"
- (g) *We draw attention towards Para III Note B of Schedule G regarding non provision of Income Tax.*
- (h) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet and the Income and Expenditure account read together with the notes thereon, but subject to para (f) & (g) above give the information required, in the manner so required and give a true and fair view:
  - (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Ayog as at 31st March, 2013, and
  - (ii) In the case of Income and Expenditure Account, of the income for the year ended on that date.


For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FIRM REG. NO. 005408C

[K V RAJGOPAL]  
PARTNER  
M.NO. 415445

PLACE: RAIPUR  
DATE: 27-09-13

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG  
BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2013

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT(Rs.) 31.03.2013	AMOUNT(Rs.) 31.03.2012
<b>SOURCES OF FUNDS:</b>			
<b>CAPITAL FUND:</b>			
GOVERNMENT GRANT			
SURPLUS			
T-O-T-A-L :-	"A"	12,000,000.00 55,436,526.58 <b>67,436,526.58</b>	12,000,000.00 73,804,677.56 <b>85,804,677.56</b>
<b>APPLICATION OF FUNDS:</b>			
<b>FIXED ASSETS:</b>	"B"		
OPENING W.D.V.		499,009.00	419,481.00
ADD: ADDITION		120,219.00	151,790.00
LESS: DEPRECIATION		93,767.00	72,262.00
CLOSING W.D.V.		<b>525,461.00</b>	<b>499,009.00</b>
<b>CURRENT ASSETS, LOANS &amp; ADVANCES:</b>			
CASH & BANK BALANCES	"C"	10,316,671.58	64,711,274.56
INVESTMENTS IN FDR(s)	"D"	278,459,925.00	242,459,925.00
DEPOSITS & ADVANCES	"E"	134,469.00	134,469.00
		<b>288,911,065.58</b>	<b>307,305,668.56</b>
<b>LESS: CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS:</b>	"F"		
NET CURRENT ASSETS		222,000,000.00	222,000,000.00
T-O-T-A-L :-		<b>66,911,065.58</b>	<b>85,305,668.56</b>
NOTES TO ACCOUNTS FORM INTEGRAL PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	"G"	<b>67,436,526.58</b>	<b>85,804,677.56</b>

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA  
 VINAYAMAK AYOG  
**CHHATTISGARH NIJI  
 VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
  
 (Dr. Mukti Mishra)  
 u/C, Chairman  
 [CHAIRMAN]

(Prof. B.R. Chendrakar)  
 [MEMBER ADMIN.]

DATE : 27-09-13  
 PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATE  
 CHARTERED ACCOUNTANTS  
 FIRM REG. NO. 005408C

[KV RAJGOPAL]  
 PARTNER  
 M.NO. 415445


DATE : 27-09-13  
 PLACE: RAIPUR

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT**  
**FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2013**

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (Rs.) 31.03.2013	AMOUNT (Rs.) 31.03.2012
I-N-C-O-M-E :			
SALE OF FORMS & MISCELLANEOUS INCOME		43,000.00	43,000.00
INTEREST FROM FDRs		1,563,633.00	8,297,639.00
OTHER INTEREST FROM BANKS		880,312.00	502,549.00
INTEREST FROM I.T. REFUND		-	1,147,239.00
	TOTAL (A)	<b>2,486,945.00</b>	<b>9,990,427.00</b>
E-X-P-E-N-D-I-T-U-R-E :			
PETTY CASH EXPENSES (TILL MONEY)		67,412.00	25,716.00
STAFF SALARY		1,650,140.00	1,458,717.50
AUDIT FEES		44,159.23	16,545.00
TELEPHONE EXPENSES		282,900.00	32,056.91
RENT EXPENSES		6,270.00	276,000.00
ELECTRICITY CHARGES		368,583.00	283,224.00
TRAVELLING AND CONVEYANCE EXPENSES		93,767.00	72,262.00
DEPRECIATION		1,700.00	1,317.00
OFFICE EXPENSES		18,245,305.00	3,343,958.00
INTEREST ON ENDOWMENT & ADDITIONAL FUND		1,453.75	1,100.00
BANK CHARGES		1,780.00	36,595.00
PRINTING & STATIONERY EXPENSES		6,000.00	15,000.00
SITTING FEES		23,990.00	125,265.00
PROFESSIONAL EXPENSES		25,000.00	77,210.00
LEGAL EXPENSES		26,179.00	29,413.00
MEDICAL REIMBURSEMENT		10,457.00	26,440.00
REPAIRS & MAINTENANCE EXPENSES			
	TOTAL (B)	<b>20,855,095.98</b>	<b>5,820,819.41</b>
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE (A - B)		(18,368,150.98)	4,169,607.59
NET SURPLUS CARRIED TO BALANCE SHEET			
NOTES TO ACCOUNTS FORM INTEGRAL PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	"G"		

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA  
 For CHHATTISGARH NIJI  
 VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG  
  
 (Dr. Mukti Mishra) (Prof.. B.R. Chandrakar)  
 VC, Chairman Secretary  
 [CHAIRMAN] [MEMBER ADMIN.]

DATE : 27-09-13  
 PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
 CHARTERED ACCOUNTANTS  
 FIRM REG. NO. 005408C  
  
 (K.V. Rajgopal) PARTNER  
 M.NO. 415445

DATE.: 27-09-13  
 PLACE: RAIPUR

**CHHATTISGARH NIJI VISHWA VIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2013**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AS AT 31.03.2013</b>	<b>AS AT 31.03.2012</b>
<b><u>SCHEDULE - "A"</u></b>		
<b><u>RESERVES &amp; SURPLUS:</u></b>		
Opening Balance	73804677.56	69635069.97
Add : Surplus/(Deficit)	(18368150.98)	4,169,607.59
<b>T-O-T-A-L :-</b>	<b>55436526.58</b>	<b>73804677.56</b>
<b><u>SCHEDULE - "C"</u></b>		
<b><u>CASH AND BANK BALANCE:</u></b>		
<b><u>Bank Balances :</u></b>		
a) Balance with State Bank Of India	107,894.73	10,638.73
b) Balance with Union Bank Of India	32,807.85	3,218.83
c) Balance With Central Bank Of India	5,590,907.00	119,835.00
d) Flexi Account with Central Bank Of India		60,000,000.00
e) Auto Sweep Account with Union Bank of India	4,286,000.00	4,309,520.00
f) Flexi account with State Bank Of India	299,062.00	268,062.00
<b><u>Cash-in-hand</u></b>		
Petty Cash (Till Money)		
<b>T-O-T-A-L :-</b>	<b>10316671.58</b>	<b>64711274.56</b>
<b><u>SCHEDULE - "D"</u></b>		
<b><u>INVESTMENTS IN FDR(s):</u></b>		
a) Fixed Deposits with Central Bank of India	278,459,925.00	242,459,925.00
<b>T-O-T-A-L :-</b>	<b>278459925.00</b>	<b>242459925.00</b>
<b><u>SCHEDULE - "E"</u></b>		
<b><u>DEPOSITS &amp; ADVANCES</u></b>		
a) T. D. S. RECEIVABLE ( A.Y 2007-08)	85,617.00	85,617.00
b) Deposit for rent	45,000.00	45,000.00
c) Deposit for telephone	3,852.00	3,852.00
<b>T-O-T-A-L :-</b>	<b>134469.00</b>	<b>134469.00</b>
<b><u>SCHEDULE - "F"</u></b>		
<b><u>CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISION</u></b>		
a) Endowment Fund	212000000.00	212000000.00
b) Additional Fund	10000000.00	10000000.00
<b>T-O-T-A-L :-</b>	<b>222000000.00</b>	<b>222000000.00</b>



CHHATTISGARH N.I.I VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG  
SCHEDULE "B" DETAILS OF FIXED ASSETS

PARTICULARS	RATE	W.D.V. AS ON 01-04-12	ADDITIONS		TOTAL DEPRECIATION	W.D.V. AS ON 31.03.2013
			MORE THAN 180 DAYS	LESS THAN 180 DAYS		
FURNITURE & FIXTURES	10%	325,899.00	-	-	325,899.00	32,590.00
OFFICE EQUIPMENTS	15%	118,348.00	52,369.00	2,450.00	173,167.00	25,791.00
COMPUTERS	60%	38,581.00	-	-	38,581.00	23,149.00
AIR CONDITIONER	15%	16,181.00	65,400.00	-	81,581.00	12,237.00
<b>TOTAL</b>		<b>499,009.00</b>	<b>117,769.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>619,228.00</b>	<b>93,767.00</b>
						<b>525,461.00</b>

Schedule "D"

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**DETAILS OF FIXED DEPOSIT RECEIPTS**

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
<b>FDR WITH CENTRAL BANK OF INDIA</b>		
FDR NO. 29615	9,500,000.00	9,500,000.00
FDR NO. 29616	3,459,925.00	3,459,925.00
FDR NO. 29621	9,500,000.00	9,500,000.00
FDR NO. 29622	9,500,000.00	9,500,000.00
FDR NO. 29623	9,500,000.00	9,500,000.00
FDR NO. 29624	9,500,000.00	9,500,000.00
FDR NO. 29625	9,500,000.00	9,500,000.00
FDR NO. 29626	9,500,000.00	9,500,000.00
FDR NO. 29627	9,500,000.00	9,500,000.00
FDR NO. 29628	9,500,000.00	9,500,000.00
FDR NO. 29629	9,500,000.00	9,500,000.00
FDR NO. 29630	9,500,000.00	9,500,000.00
FDR NO. 29631	9,500,000.00	9,500,000.00
FDR NO. 37488	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 37658	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 37727	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 37896	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 37998	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 38073	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 38142	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 38277	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 38357	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 38539	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 13271	8,000,000.00	8,000,000.00
FDR NO. 13544	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 13714	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 13849	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 11600	9,000,000.00	9,000,000.00
FDR NO. 11724	9,000,000.00	-
FDR NO. 12036	9,000,000.00	-
FDR NO. 12241	9,000,000.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>278,459,925.00</b>	<b>242,459,925.00</b>



Schedule "F"

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**DETAILS OF ENDOWMENT FUNDS**

NAME OF THE UNIVERSITY	AS ON 31.03.2013	AS ON 31.03.2012
AMTIY UNIVERSITY	30,000,000.00	30,000,000.00
ITM UNVERSITY	30,000,000.00	30,000,000.00
JINDAL UNIVERSITY	10,000,000.00	10,000,000.00
SANKRACHARYA UNIVERSITY	30,000,000.00	30,000,000.00
C V RAMAN UNIVERSITY	10,000,000.00	10,000,000.00
GURUKUL UNIVERSITY	1,000,000.00	1,000,000.00
ICFAI UNIVERSITY	30,000,000.00	30,000,000.00
KALINGA UNIVERSITY	30,000,000.00	30,000,000.00
MATS UNIVERSITY	30,000,000.00	30,000,000.00
MODI INTERNATIONAL UNIVERSITY	10,000,000.00	10,000,000.00
RAWATPURA SARKAAR UNIVERSITY	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>212,000,000.00</b>	<b>212000000.00</b>

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**DETAILS OF ADDITIONAL FUNDS**

NAME OF THE UNIVERSITY	AS ON 31.03.2013	AS ON 31.03.2012
MODI INTERNATIONAL UNIVERSITY	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10000000.00</b>

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**

**SCHEDULE - "G" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS**

**A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:**

**1. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT:**

These accounts have been prepared under the historical cost convention on the basis of a going concern, with revenues earned and expenses actually paid i.e. cash method of accounting. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and provisions of the statute have been followed.

**2. FIXED ASSETS:**

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of acquisition of fixed assets is inclusive of all expenses.

**4. DEPRECIATION:**

Ayog has provided for depreciation as per rates prescribed under The Income Tax Act.

**5. TAXATION:**

Provision for current and deferred taxation to be done as per Income Tax Act 1956

**B. NOTES TO ACCOUNTS:**

- (i) Figures of the previous year have been re-arranged/re-grouped wherever considered necessary so as to make them comparable with current year's figures.
- (ii) Contingent Liabilities:- The liability of Rs.2889277/- towards interest due on endowment fund payable to such depositors has not been accounted for in books of accounts as the same would be accounted on payment basis.
- (iii) No provision for current tax is called for , as the Ayog is of the view that repayment of its endowment fund is application of fund as required by the Income Tax Act.

**SIGNATURES TO SCHEDULES "A" TO "G"**

For, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA

FOR CHHATTISGARH NIJI  
VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

[Dr. M.  
VC  
[CHAIRMAN]

(Prof. B.R. Chandrakar)  
[MEMBER ADMIN.]

DATE: 27-09-13  
PLACE: RAIPUR

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FIRM REG. NO. 0054081

[K V RAJGOPAL]  
PARTNER  
M.NO. 415455

DATE: 27-09-13  
PLACE: RAIPUR

## 1 GOVERNMENT GRANT

It has been observed that the trust has received the government grant till financial year 2012-13 amounting to Rs 12,000,000. But still expenses have been recorded in the profit & loss statement, which clearly states that the grant has not been utilized for the purpose it was received.

Instead it has been invested in FDR and accordingly interest income is enjoyed by trust.

Unutilized closing balance of Government grant as on 31-March-2013 is Rs 12,000,000.00

## 2 CHECKING OF FEES

### 2.1 DELAY IN DEPOSIT OF FEES COLLECTED

Fees collected by Ayog are supposed to be deposited within 15 days in Government Treasury Account. However, in the instances mentioned beneath delay was observed:-

S. No	NAME OF UNIVERSITY	FEES AMOUNT	DATE OF RECEIPT	DEU DATE OF DEPOSIT	DATE OF DEPOSIT	DELAY I DAYS
1.	Dr. C.V.RAMAN	71188.00	03-04-12	18-04-12	29-05-12	11
2.	Dr. C.V.RAMAN	707920.00	03-04-12	18-04-12	29-05-12	11
	Dr. C.V.RAMAN	237434.00	03-04-12	18-04-12	29-05-12	11
	ICFAI UNIVERSITY	18720.00	11-06-12	26-06-12	19-07-12	23
	ICFAI UNIVERSITY	6610.00	11-09-12	26-09-12	01-10-12	5
	ICFAI UNIVERSITY	4625.00	09-10-12	24-10-12	29-11-12	35
	MATS UNIVERSITY	579459.00	25-10-12	09-11-12	29-11-12	20
	MATS UNIVERSITY	104302.00	25-10-12	09-11-12	2-11-12	20
	ITM UNIVERSITY	100313.00	25-10-12	09-11-12	29-11-12	20
	ITM UNIVERSITY	42770.00	13-11-12	28-11-12	29-11-12	1
	Dr. C.V.RAMAN	1350.00	07-12-12	22-12-12	23-01-13	30
	ICFAI UNIVERSITY	845.00	07-12-12	22-12-12	23-01-13	30
	ITM UNIVERSITY	21295.00	07-12-12	22-12-12	23-01-13	30
	ICFAI UNIVERSITY	671.00	05-01-13	20-01-13	23-01-13	3
	ICFAI UNIVERSITY	11540.00	07-02-13	22-02-13	18-03-13	24
<b>Total</b>		<b>1909042.00</b>				

## 3 CASH BASIS OF ACCOUNTING

It has been observed that the trust follows Cash Basis of Accounting but while verifying the financial statements it was observed that Debit balance of TDS Receivable of F.Y 06-07 amounting to Rs.85617.00 is appearing in the books of accounts.



#### 4 BANK BALANCES & FDRS

---

##### BANK BALANCES & RECONCILATION

Union Bank of India (Auto Sweep) : Tallied

Particulars	Amount
Balance as per Books of Accounts	4286000.00
Balance as per Bank Statement	4286000.00
Diff.	

Central Bank of India : Reconciled

Particulars				Amount
<b>Balance as per Books of Accounts</b>				<b>5590907.00</b>
Add : Cheque issued but not presented at bank				
Date	Cheque No.	Particulars	Amount	DOC
31-03-13	125303	Interest on Fund	360000.00	03-04-13
31-03-13	125310	Interest on Fund	540000.00	05-04-13
31-03-13	125304	Interest on Fund	1080000.00	03-04-13
31-03-13	125305	Interest on Fund	720000.00	03-04-13
<b>Total</b>			<b>2700000.00</b>	
<b>Balance as per Bank Statement</b>				<b>8290907.00</b>

Union Bank of India: Reconciled

Particulars				Amount
<b>Balance as per Books of Accounts</b>				<b>32807.85</b>
Add : Cheque issued but not presented at bank				
Date	Cheque No.	Particulars	Amount	DOC
13-02-13	2017094	Sitting Fees	500.00	17-04-13
<b>Total</b>			<b>500.00</b>	

Less : Cheque received by us but not credited by Bank					
Date	Cheque No.	Particulars	Amount	DOC	
22-03-13	19551	Fees Receipt	500.00		
		<b>Total</b>	<b>500.00</b>		
		<b>Balance as per Bank Statement</b>			<b>32807.85</b>

d. State Bank of India : Tallied

Particulars	Amount
Balance as per Books of Accounts	107894.73
Balance as per Bank Statement	107894.73
Diff.	-



**FORM 10B**

**OF**  
**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA**  
**VINAYAMAK**  
**AYOG**

**FOR THE YEAR ENDED**

**ON 31<sup>ST</sup> MARCH 2013**

**BATRA DEEPAK & ASSOCIATES**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**

**Batra Deepak & Associates**  
Chartered Accountants

Office No.28, 2nd Floor, Ashoka Plaza Complex  
(Near Ashoka Ratan, Khamardih), Vidhan Sabha Road, RAIPUR (Chhattisgarh) 492001  
Phone: 0771-2281180, 81, 82; Fax: 0771-2281183  
E-mail: deepakbda@gmail.com

---

**FORM NO. 10B**

[See rule 17B]

Audit report under section 12A(b) of the Income-tax Act, 1961, in the case of charitable or religious trusts or institutions

We have examined the Balance sheet of **CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG , RAIPUR** [herein after referred as FUND, OR TRUST OR INSTITUTION OR ANY UNIVERSITY] as at **31<sup>st</sup> March, 2013** and the Income & Expenditure account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the head office at Raipur and No branches. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In our opinion, proper books of account have been kept by the head office of the above named fund ,or trust or institution or any university so far as appears from our examination of the books of account. Our report is as under:

- (1) The above mentioned financial statements are the responsibility of the Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit.
  
- (2) We have conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from any material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.



In our opinion and to the best of our information, the said accounts read together with notes on accounts give a true and fair view-

- (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above named institution as at 31<sup>st</sup> March 2013 and
- (ii) In the case of Income & Expenditure Account, of the deficit for the year ended on that date.

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FIRM REG. NO. 005408C




[K V RAJGOPAL]  
PARTNER  
M.No.415445

PLACE: RAIPUR  
DATE : 27-09-13

## STATEMENT OF PARTICULARS

### I. APPLICATION OF INCOME FOR CHARITABLE OR RELIGIOUS PURPOSES


1.	Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during that year		
		PARTCULARS	AMOUNT
		Gross Receipts	2486945.00
		Less: Amount utilized for revenue expenses	(20855096.00)
		Less: Amount utilized for capital expenses	(120219.00)
		Surplus/ (Deficit)	(18488370.00)
2.	Whether the Institution has exercised the option under clause (2) of the Explanation to section 11(1) ? If so, the details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year	NO	
3.	Amount of income accumulated or set apart* /finally set apart for application to charitable or religious purposes, to the extent it does not exceed 15 per cent of the income derived from property held under trust wholly for such purposes.	Nil	
4.	Amount of income eligible for exemption under section 11(1)(c) (Give details)	Nil	



5.	Amount of income, in addition to the amount referred to in item 3 above, accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2)	PLEASE REFER ANNEXURE 'A' ATTACHED HEREWITH
6.	Whether the amount of income mentioned in item 5 above has been invested or deposited in the manner laid down in section 11(2)(b) ? If so, the details thereof	The amount mentioned above is deposited with Scheduled banks as FDR & Deposit in Flexi Accounts.
7.	Whether any part of the income in respect of which an option was exercised under clause (2) of the Explanation to section 11(1) in any earlier year is deemed to be income of the previous year under section 11(1B) ? If so, the details thereof	Nil
8.	<p>Whether, during the previous year, any part of income accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2) in any earlier year-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) has been applied for purposes other than charitable or religious purposes or has ceased to be accumulated or set apart for application thereto, or</li> <li>(b) has ceased to remain invested in any security referred to in section 11(2)(b)(i) or deposited in any account referred to in section 11(2)(b)(ii) or section 11(2)(b)(iii), or</li> <li>(c) has not been utilised for purposes for which it was accumulated or set apart during the period for which it was to be accumulated or set apart, or in the year immediately following the expiry thereof? If so, the details thereof</li> </ul>	<p>No</p> <p>No</p> <p>PLEASE REFER ANNEXURE 'A' ATTACHED HEREWITH</p>

**II. APPLICATION OR USE OF INCOME OR PROPERTY FOR THE BENEFIT OF  
PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3)**

1.	Whether any part of the income or property of the company was lent, or continues to be lent, in the previous year to any person referred to in section 13(3) (hereinafter referred to in this Annexure as such person)? If so, give details of the amount, rate of interest charged and the nature of security, if any	NO
2.	Whether any land, building or other property of the company was made, or continued to be made, available for the use of any such person during the previous year? If so, give details of the property and the amount of rent or compensation charged, if any	NO
3.	Whether any payment was made to any such person during the previous year by way of salary, allowance or otherwise? If so, give details	NO
4.	Whether the services of the company were made available to any such person during the previous year? If so, give details thereof together with remuneration or compensation received, if any	NO
5.	Whether any share, security or other property was purchased by or on behalf of the company during the previous year from any such person? If so, give details thereof together with the consideration paid	NO
6.	Whether any share, security or other property was sold by or on behalf of the company during the previous year to any such person? If so, give details thereof together with the consideration received	NO



7.	Whether any income or property of the company was diverted during the previous year in favour of any such person? If so, give details thereof together with the amount of income or value of property so diverted	NO
8.	Whether the income or property of the company was used or applied during the previous year for the benefit of any such person in any other manner? If so, give details	NO




**III. INVESTMENTS HELD AT ANY TIME DURING THE PREVIOUS YEAR(S) IN  
CONCERNS IN WHICH PERSONS**

REFERRED TO IN SECTION 13(3) HAVE A SUBSTANTIAL INTEREST

<u>Sl. No.</u>	<u>Name and address of the concern</u>	<i>Where the concern is a company, number and class of shares held</i>	<i>Nominal value of the investment</i>	<i>Income from the investment</i>	<i>Whether the amount in col. 4 exceeded 5 per cent of the capital of the concern during the previous year-say,</i>  <u>Yes/No</u>
1	2	3	4	5	6
	-----Nil-----	-----Nil-----	-----Nil-----	-----Nil-----	-----Nil-----
Total					

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FIRM REG.NO. 005408C



[K V RAJGOPAL]  
PARTNER  
M.No.415445

PLACE: RAIPUR  
DATE: 27-09-13

DRAFT STATEMENT OF ACCUMULATED SURPLUS AND ITS UTILISATION

ANNEXURE A

A.Y. 2013-14

ASSET YEARS	GROSS RECEIPTS	15% of Gross Receipts (Deemed to be applied)	85% of Gross Receipts	Revenue Expenses	Capital Expenditure	Balance Surplus	Utilisation of accumulated surplus	Net Accumulated Surplus	Remarks
(a)	(b)	(c = b*15%)	(d = b-c)	(e)	(f)	(g = d-e-f)	(h)	(i = g-h)	(j)
2005-2006	6,645,583.00	996,837.00	5,648,746.00	1,576,601.00	353,437.00	3,718,708.00	3,718,708.00	-	Accumulated surplus utilised in A.Y. 2011-12
2006-2007	23,555,598.00	3,593,340.00	20,362,258.00	7,966,714.00	582,888.00	11,812,656.00	11,066,901.00	745,755.00	Accumulated surplus of Rs.11,327/- utilised in A.Y. 2011-12
2007-2008	29,708,098.00	4,456,215.00	25,251,883.00	17,059,379.00	150,601.00	8,041,903.00	8,787,658.00	-	Accumulated surplus of Rs.878/- utilised in A.Y. 2013-14
2008-2009	36,187,312.00	5,428,097.00	30,759,215.00	14,387,699.00	1,550.00	16,369,966.00	9,700,711.98	6,669,254.02	Accumulated surplus of Rs.970/- utilised in A.Y. 2013-14
2009-2010	28,091,382.00	4,213,707.00	23,877,675.00	14,096,080.00	9,781,595.00	-	16,450,849.02	-	...
2010-2011	25,242,612.00	3,786,392.00	21,455,220.00	9,654,438.00	11,801,782.00	-	28,252,631.02	-	...
2011-2012	1,751,996.00	-	1,751,996.00	16,537,605.00	(14,785,609.00)	-	13,467,022.02	-	...
2012-2013	9,990,427.00	1,498,564.00	8,491,863.00	5,748,557.41	151,790.00	2,591,515.59	745,755.00	15,312,782.61	Unutilized income of Assessment Year 2006-07 has been offered for Tax Exemption
2013-2014	2,486,945.00	-	2,486,945.00	20,855,095.98	120,219.00	(18,488,369.98)	18,488,369.98	15,312,782.61	
<b>TOTAL</b>	<b>164,059,953.00</b>	<b>23,973,152.00</b>	<b>140,086,801.00</b>	<b>107,882,169.39</b>	<b>1,360,485.00</b>	<b>30,844,146.61</b>	<b>52,508,103.96</b>		

**FORM 10BB**

**OF**

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA**

**VINAYAMAK**

**AYOG**

**FOR THE YEAR ENDED**

**ON 31<sup>ST</sup> MARCH 2013**

**BATRA DEEPAK & ASSOCIATES**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**

Batra Deepak & Associates  
Chartered Accountants

Office No.28, 2nd Floor, Ashoka Plaza Complex  
(Near Ashoka Ratan, Khamardih), Vidhan Sabha Road, RAIPUR (Chhattisgarh) 492001  
Phone: 0771-2281180, 81, 82; Fax: 0771-2281183  
E-mail: deepakbda@gmail.com

**FORM NO. 10 BB**  
[See rule 16 CC]

**Audit Report under Section 10(23C) of the Income-tax Act, 1961, in the case of a fund or trust or institution or any university or other educational institution or a hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv) or sub-clause (v) sub-clause (vi) or sub clause (vi) or sub-clause (via) of section 10(23C).**

- (i) We have examined the Balance Sheet as at **31-March-2013** and the Income & Expenditure for the year ended on that date attached herewith of **Chhattisgarh N Vishwavidyalay Vinayamak Ayog.**
- (ii) We certify that the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account are in agreement with the books of account maintained at Raipur office.
- (iii) Subject to comments below
- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit.
- (b) In our opinion proper books of account have been kept, so far as appears from examination of the books of account.
- (c) In our opinion and to the best of our information and according to the information given to us, the said accounts read with notes thereon, if any, give a true and fair view
- (1) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs as at **31st March,2013** and
- (2) In the case of Income and Expenditure Account, of the **deficit** for the year ended on the date.

The Prescribed particulars are annexed herewith

Place: Raipur  
Date: 27-09-13

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FIRM REG. NO.005408C

K VRAJGORAL  
PARTNER  
M. No. 415445



**ANNEXURE**  
**Statement of particulars**  
**PART A-GENERAL**

1	Name of the fund or trust or any institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution.	<b>Chhattisgarh Niji Vishwavidyalay Viniyamak Ayog</b>
2	Address	29/776, Plot No.5, Block - 3, Shanti Nagar, Raipur- 492101 Chhattisgarh
3	Permanent Account Number	AAAJC0388F
4	Assessment Year	2013-2014
5	Sub-clause of section 10(23C) under which the fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution is seeking exemption.	(vi)
6	Number and date of notification /approval of the fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution.	F.No.CCIT/Tech/10(23C)(vi)/3/10-11 25/06/2010
7	Nature of charitable/religious/educational/philanthropic activity [as referred to in sub-clauses (iv),(v),(vi) or (via) of section 10(23C)]	To Regulate functioning of Private Universities in Chhattisgarh
8	Total income of the previous year of the fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution.	Rs. 2486945.00
9	Amount of income of the previous year applied during the year wholly and exclusively to the objects for which it is established.	Rs. 20975315.00
10	Amount of income of the previous year accumulated for application, wholly and exclusively, to the objects for which it is established; to the extent it does not exceed 15% of income of that year.	<b>NIL</b>
11	Amount of income, exceeding 15% of income of the year, accumulated in accordance with clause (a) of the third proviso to section 10(23C).	<b>NA</b>
12	(a) Whether, during the previous year, any part of the income, not exceeding 15% of income accumulated in any earlier year, was applied for purposes other than to the objects for which it is established or has ceased to be accumulated for application thereto?  (b) If the answer to (a) above is 'yes' then give details of income so applied or ceased to be accumulated	No
13	(a) Whether, during the previous year, any part of the income of any earlier year exceeding 15% of the income, that was accumulated in accordance	 No

	with clause (a) of the third proviso to section 10(23C) in that year, was applied for purposes other than to the objects for which it is established or has ceased to be accumulated for application thereto? (b) If the answer to (a) above is 'yes' then give details of income so applied or ceased to be accumulated	
14	(a) Whether, during the previous year, any part of the income of any earlier year exceeding 15% of the income, that was accumulated in accordance with clause (a) of the third proviso to section 10(23C) in that year, was not utilized for purposes for which it was accumulated during the period for which it was to be accumulated? (b) If the answer to (a) above is 'yes' then give details thereof, together with amount of income not utilized.	No

#### PART C - OTHER INFORMATION

15	(a) Whether any funds, other than the assets or voluntary contributions referred to in clause (b) of the third proviso to section 10(23C), were invested or deposited for any period during the previous year, otherwise than in the forms and modes specified in sub-section (5) of section 11. (b) If the answer to (a) is 'yes', then give details as under:	No
----	--	----

Sl. No.	Name of investment of deposit	Amount invested or deposited	Period of investment of deposit
1.			

16	In relation to any income being profits and gains of business,- (a) Whether the business was incidental to the attainment of the objectives of the fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution? (b) Whether separate books of account were maintained in respect of such business? (c) If the answer to (a) and /or (b) above is 'no', then state the amount of such income.	N.A.
17	(a) whether during the previous year, any part of the accumulated income was paid or credited to any trust or institution registered under section 12AA or to any fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital other medical institution referred to in	 No

	<p>sub-clause (iv) or sub-clause (v) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10?</p> <p>(b) if the answer to (a) above is 'yes', then give details thereof, together with the amount of income so paid or credited</p>	
18	<p>(a) whether any voluntary contribution, other than voluntary contribution in cash or voluntary of the nature referred to in clause (b) of the third proviso to section 10(23C), was held during the previous year, otherwise than in any of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11, after the expiry of one year from the end of the previous year in which such voluntary contribution was received?</p> <p>(b) if the answer to (a) above is 'yes', then give details thereof, including the amount of such voluntary contribution.</p>	No
19	<p>(a) Whether any anonymous donation referred to in section 115 BBC was received during the year? (See notes 2 &amp; 3)</p> <p>(b) If the answer to (a) above is 'yes', then state the amount of such anonymous donation.</p>	No

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
 CHARTERED ACCOUNTANTS  
 FIRM REG. NO.005408C



K V RAJGOPAL  
 PARTNER  
 M. No.415445

Place: Raipur  
 Date: 27-09-13

**CHHATTISGARH MULVI VISHWAMARDALA PANCHAYAT**  
**ACCUMULATED INCOME AND ITS UTILISATION**

Anneature 'A'

A.Y. 2013-14

Asset Years	Gross Receipts	15% of Gross Receipts (Deemed to be applied)	85% of Gross Receipts Expenses	Revenue Capital Expenditure	Balance Surplus	Utilisation of accumulated surplus	Net Accumulated Surplus	Remarks	
(a)	(b)	(c = b * 15%)	(d = b - c)	(e)	(f)	(g = d - e - f)	(h)	(i = g - h)	(j)
2005-2006	6,645,583.00	996,837.00	5,648,746.00	1,576,601.00	353,437.00	3,718,708.00	3,718,708.00	-	Accumulated surplus utilised in A.Y. 2013-12
2006-2007	23,955,598.00	3,593,340.00	20,362,258.00	7,966,714.00	582,888.00	11,812,656.00	11,065,901.00	745,755.00	Accumulated surplus of Rs.11,329,700 utilised in A.Y. 2011-12
2007-2008	29,708,098.00	4,456,215.00	25,251,883.00	17,059,379.00	150,601.00	8,041,903.00	8,787,658.00	-	Accumulated surplus of Rs.8787658 utilised in A.Y. 2013-14
2008-2009	36,187,312.00	5,428,097.00	30,759,215.00	14,387,699.00	1,550.00	16,369,966.00	9,700,711.98	6,669,254.02	Accumulated surplus of Rs.9700711.98 utilised in A.Y. 2013-14
2009-2010	28,091,382.00	4,213,707.00	23,877,675.00	14,096,080.00	-	9,781,595.00	-	16,450,849.02	---
2010-2011	25,242,612.00	3,786,392.00	21,456,220.00	9,654,438.00	-	11,801,782.00	-	28,252,631.02	---
2011-2012	1,751,996.00	-	1,751,996.00	16,537,605.00	-	(14,785,609.00)	-	13,467,072.02	---
2012-2013	9,990,427.00	1,498,564.00	8,491,863.00	5,748,557.41	151,790.00	2,591,515.59	745,755.00	15,312,782.61	Unutilized Income of Assessment year 2006-07 has been offered for tax
2013-2014	2,486,945.00	-	2,486,945.00	20,855,095.98	120,219.00	(18,488,369.98)	18,488,369.98	15,312,782.61	
<b>TOTAL</b>	<b>164,059,953.00</b>	<b>23,973,152.00</b>	<b>140,086,801.00</b>	<b>107,882,169.39</b>	<b>1,360,485.00</b>	<b>30,844,146.61</b>	<b>52,508,103.96</b>		



